31मई तक जमा होगा ऋण

झुंझुनूं,(निसं)। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम झुंझुनूं द्वारा राष्ट्रीय निगमों के माध्यम से सस्ती ब्याज दरों पर स्वरोजगार के लिए विगत वर्षो में अनुसूचित जाति, जनजाति, सफाई कर्मचारी वर्ग, विकलांग वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रा युवक, युवतियों को ऋण व अनुदान राशि वितरण की गई थी।

अनुजा निगम झुंझुनूं के परियोजना प्रबंध डॉ. पवन पूनियां ने बताया कि जिन लाभार्थियों द्वारा अपने ऋण की ऋण किश्तों का भुगतान समय पर नहीं करवा रहे है तथा जिनका ऋण खाता डिफाल्टर चल रहा है। वह लाभार्थी 31 मई 2024 तक अपना बकाया ऋण अनुजा निगम कार्यालय जिला परिषद ग्रामीण प्रकोष्ठ कैंपस झुंझुनूं में जमा करवाकर अपनी रसीद प्राप्त कर लेवें।

इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद करने के खिलाफ प्रदर्शन किया

झुंझुनूं, (निसं)। सोमवार को छात्र संगठन एसएफआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा। एसएफआई के जिलाध्यक्ष अनीश धायल ने बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिनमें गरीब तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

उनको भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री ने काला फरमान जारी करते हुए राजस्थान में चल रहे 2000 से ज्यादा

- **शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा**

महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को पुनः हिंदी मीडियम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो राजस्थान का विद्यार्थी वर्ग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुर्जर ने कहा कि भाजपा सरकार स्कूलों के हालात, अध्यापकों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या का हवाला देते हुए अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम में बदलने का काला फरमान जारी किया है। जो गरीब तबके के साथ सरासर अन्याय है। एसएफआई के जिला उपाध्यक्ष साहिल कुरैशी ने कहा कि भाजपा सरकार ये काला फरमान जारी कर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बंद करते हुए गरीब तबके के विद्यार्थी को अंग्रेजी शिक्षा से दूर करने का काम कर रही है। जिसे राजस्थान का विद्यार्थी वर्ग और छात्र संगठन एसएफआई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा । एसएफआई के सोशल मीडिया प्रभारी मोहित टंडन ने कहा कि इस ज्ञापन के माध्यम से छात्र संगठन एसएफआई यह मांग करता है कि इन विद्यालयों को सुचारू रूप से चालू रखा जाए तथा जो खामियां है। उन्हें सरकार दूर करने का काम करें। एसएफआई के कॉलेज कमेटी अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि यदि जल्द से जल्द हमारी मांगे नहीं मानी गई तो छात्र संगठन एसएफआई विद्यार्थी वर्ग को लामबद्ध कर प्रदेश भर में उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस दौरान नवनीत, आदिल मोहम्मद , अंकित , अमित,आकाश पिंटू , पीयूष , टीना, टुनटुन व अनेक महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

छात्र संगठन एसएफआई ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के नाम ज्ञापन सौंपा।

जिला कलेक्टर ने पेयजल टंकी का किया अनावरण

सीकर, (निसं)। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सोमवार को जलदाय कार्यालय में आधुनिक तकनीक से बनी पेयजल टंकी का अनावरण किया। पेयजल टंकी का निर्माण स्वर्गीय सेठ सत्यनारायण पंसारी की स्मृति में स्मृति सेवा संस्थान के आर्थिक सहयोग से किया गया है।

एसई पीएचईडी चुनीलाल भास्कर ने बताया कि नवनिर्मित टंकी के साथ ही वॉटर ट्रीटमेंट यूनिट स्थापित की गई है जिसके माध्यम से इससे बैक्टीरिया एवं केमिकल फ्री जल मिलेगा। टंकी में वाटर कूलर स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि टंकी के पानी को ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से सीधा पेड़-पौधों में छोड़ा गया है जिससे पानी का सदुपयोग भी हो पाएगा।

इस दौरान जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि पेयजल टंकी बनाकर यहां के भामाशाहों ने एक नई पहल शुरू की है। इस दौरान उन्होंने आमजन, प्रबुद्धजनों एवं भामाशाहों से पेयजन टंकीयां बनाने का आवाह्न किया ताकि भीषण गर्मी में आमजन को पेयजल सुलभ हो सके।

जिला कलेक्टर चौधरी ने कहा कि जिला प्रशासन टीम बनाकर जिले में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है तथा जहां कहीं भी पानी की किल्लत या कोई समस्या है तो वहां जाकर उसका निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जहां कहीं नई ट्यूबवेल की जरूरत है तो वहां 4 जून को आचार संहिता के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय अधिकारियों सहित उपखंड अधिकारियों, तहसीलदार एवं उनकी पूरी टीम मौके पर जाकर पानी की आपूर्ति, चिकित्सा व्यवस्थाओं एवं गौशालाओं का छुट्टी के दिन भी लगातार निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों में पूरा मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया है तथा सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि किसी को भी हीट वेव एवं गर्मी के दौरान चिकित्सा व्यवस्था समय पर उपलब्ध हो सके। इस दौरान जिला कलेक्टर ने आमजन की पेयजल संबंधी समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने जलदाय विभाग के कार्यालय परिसर में पक्षियों के पानी पीने के लिए परिंडे लगाएं।इस दौरान एसई पीएचईडी चुनीलाल भास्कर,कांता प्रसाद पंसारी, गिरधारी पंसारी, मनोज पंसारी, संतोष पंसारी, शेर सिंह सुंडा, विजय झाझुका, गोकुल, देवेंद्र अग्रवाल, कैलाश, बनवारी बजाज, सतीश पंसारी, मदनलाल ढाका, एक्सईएन महेंद्र कांटीवाल, विजेंद्र, एसके अग्रवाल, डॉ संजय खीचड़, नरेंद्र शर्मा, भोपाल सिंह सहित जलदाय विभाग के अधिकारी,कार्मिक एवं जिले के भामाशाह उपस्थित रहे।

किए सेवा कार्य

चूरू, (कासं)। आज भाजपा प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मदनगोपाल बालाण, मण्डल अध्यक्ष दीनदयाल व सुरेश , रवि , विजय , रजत , नोमान खान, आदील , कार्यालय प्रभारी रामस्वरूप , सोशल मीडिया सुरेश , बाबू , अरूण आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

डिप्टी सी.एम. से मुलाकात

झुंझुनूं, (निसं)।भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी ने सोमवार को सिविल लाइन में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से भेंट कर उन्हें हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में पूरी स्थिति से अवगत करवाया।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष जिले में पानी में बिजली की समस्या से अवगत करवाया। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलकर जिलाध्यक्ष ने बताया कि इस समय शेखावाटी में भयंकर गर्मी जारी है। ऐसी स्थिति में आमजन को पानी की समस्या न हो और बिजली समय पर मिले ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि झुंझुनूं जिले में गौधन के बचाव की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि इस समय सभी गौशालाओं में पानी की कमी है और को गौधन को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित

- **एक्सीडेंट का कारण बन रहे अतिक्रमण पॉइंट्स पर पुलिस जाब्ते की मदद लेकर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें : जिला कलेक्टर**
- **बैठक में अनुपस्थित रहने पर एनएचएआई के दो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिये निर्देश**

सीकर, (निसं.)। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान समिति के हितधारकों के साथ सड़क दुर्घटना कम करने के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में जिला कलेक्टर चौधरी ने निर्देशित किया कि जिले की मुख्य सड़क मार्ग पर ब्लैक स्पॉट्स की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण हटावे, स्कूलों में नो-बैग-डे के दिन सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियां आयोजित कर बच्चों को इस संबंध में जागरूक बनाएं। आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हुई अतिक्रमण की विस्तार से समीक्षा करते हुए बाजोर में दो पैट्रोल पंप द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की संपति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने के लिए एनएचएआई के टेक्निकल मैनेजर को निर्देशित किया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में अधिकतर दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही है, इसके संबंध में एजेंसी ब्लैक स्पोट्र्स की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें तथा एक्सीडेंट का कारण बन रही तकनीकी खामियों को सुधारें एवं एक्सीडेंट का कारण बनने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देशित किया।

उन्होंने कहा कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें सभी हित धारकों का उपस्थित होना जरूरी है।

एनएचएआई के दो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठक में उपस्थित नहीं होने पर उन्होंने नोटशीट चलाकर एनएचएआई को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर अतिक्रमण के कारण होने वाले एक्सीडेंट पॉइंट्स पर पुलिस जाब्ते की मदद लेकर अतिक्रमण हटावें, नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी।

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर रणजीत सिंह, समिति के सदस्य सचिव एवं एसई पीडब्ल्यूडी प्रहलाद सिंह, एआरटीओ वीरेंद्र सिंह राठौड़, डीटीओ ताराचंद बंजारा, एपीआरओ राकेश कुमार ढाका, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन महिपाल देवंदा, एनएचएआई के टेक्निकल मैनेजर अर्जुन सैनी, यातायात पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान सहित समिति के सदस्य, संबंधित विभागों के हित धारक उपस्थित रहे।

लोहियम टेलेंट का रिजल्ट जारी

चिड़ावा, (निसं)। लोहिया शिक्षण संस्थान की ओर से गत माह आयोजित लोहियम टेलेंट सर्च एग्जाम का रिजल्ट सोमवार को संस्था चेयरमैन रामसिंह नेहरा और निदेशक जगपाल सिंह यादव ने वेबसाइट पर जारी किया। विद्यार्थी विद्यालय वेबसाइटपर देख सकते है।

इसमें प्रथम स्थान पर प्रियांशी पुत्री नरेंद्र कुमार, द्वितीय स्थान पर खिलेश पुत्र मनोज कुमार शर्मा और तृतीय स्थान पर आयुष पुत्र लोकेश सरावाग रहा। संस्था सचिव प्रदीप नेहरा ने बताया कि आगामी 16 जून को होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह में इन सभी को सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान पर रहने वाले को लैपटॉप द्वितीय स्थान पर रहने वाले को टैबलेट और तृतीय स्थान पर रहने वाले को स्मार्ट वॉच से पुरस्कृत किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि

उदयपुरवाटी, (निसं)। शहर के जांगिड़ कॉलोनी में आर्यन स्किल डवलपमेंट सेंटर पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संजय कुमार जांगिड़ की अध्यक्षता में किया गया ।

सभा में उपस्थित जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई । इस अवसर कार्यक्रम संयोजक एडवोकेट मोतीलाल सैनी उदयपुरवाटी ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पी थे, उन्होंने देश के निर्माण में सामाजिक, आर्थिक, कृषि, उद्योग, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतर नीतियों का निर्माण कर एक नए युग की शुरुआत की । पंडित नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश को मजबूती एवं सुदृढ़ आधार प्रदान किया । पंडित नेहरू ने सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर आधारित समतामूलक समाज के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया । कार्यक्रम के अध्यक्ष संजय कुमार जांगिड़ ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़े-बड़े तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थाओं की स्थापना की ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू छोटे बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे ।

श्रंद्धाजलि सभा में रतन लाल टांक, अजय वर्मा, दीपक बड़ीवाल, प्रकाश चंद गुर्जर, चंद्रकला सैनी, बेबी बानो, माया, शारदा, कृष्णा, नद्दीम, राजकुमारी, रेणुका, रेणू, शांति, कल्पना, सुमन गुर्जर, गौरीशंकर सहित कई मौजूद रहे ।

विकलांग परिवार को जान से मारने की धमकी के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

- **पाटन कस्बे के वार्ड नंबर 10 निवासीने पाटन थाने में 22 मई को रिपोर्ट पेश की थी**
- **पुलिस का कहना है कि अगर मारपीट, जान से मारने जैसे धमकी अगर दी गई है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी**

पाटन, (निसं)। कस्बे के वार्ड नंबर 10 निवासी रामप्रकाश शर्मा पुत्र स्व. दुर्गादत्त वैद्य ने पाटन थाने में 22 मई को रिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि चितरंजन शर्मा पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा, सुशीला देवी पत्नी चितरंजन शर्मा, राजकुमारी शर्मा उनके बहनोई मनोज कुमार शर्मा, ड्राइवर सौरभ व तीन-चार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर पर आकर गाली-गलौच करने व मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा पाटन थाने में दी गई है।

पूर्व में भी दो मई को इनके द्वारा मुझे एवं मेरे परिवारजनों को प्रताड़ित किया गया था। तब भी मेरे द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, परंतु अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। रामप्रकाश शर्मा ने यह भी बताया कि मैं और मेरी पत्नी दोनों दिव्यांग है, मेरी पत्नी ब्लड प्रेशर एवं शुगर पेशेंट है। इस घटना के बाद से वह डिप्रेशन में आ गई है।

मामले के अनुसार रामप्रकाश शर्मा के पिता स्व. दुर्गादत्त वैद्य मूलतः हरियाणा के रहने वाले थे तथा स्व. लक्ष्मीकांत शर्मा के रिश्ते में बड़े भाई लगते थे। लगभग 85 साल पहले लक्ष्मीकांत शर्मा एवं इनका परिवार ही दुर्गादत्त वैद्य को पाटन लेकर आए थे तथा इनको अपनी हवेली में ही रखते थे। उसके बाद लक्ष्मीकांत शर्मा एवं इनका परिवार मुंबई चला गया और वहीं पर रहने लगे। दुर्गादत्त उसे जमाने के नामी वैध थे तथा हवेली की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। इसी हवेली में इनके चार पुत्र पैदा हुए जिनकी शिक्षा, दीक्षा भी यहीं से हुई और विवाह शादी भी इसी हवेली से हुई।

दुर्गादत्त वैद्य के चले जाने के बाद से इस हवेली की संपूर्ण जिम्मेदारी राम प्रकाश शर्मा एवं सूर्य प्रकाश शर्मा के पास रही है। कुछ महीने पहले चितरंजन शर्मा का व्यवहार इन लोगों के प्रति एकदम से बदल गया तथा विकलांग परिवार को इस हवेली से बेदखल करने लगा।

चितरंजन शर्मा ने भी रामप्रकाश शर्मा के खिलाफ पाटन थाने में मकान खाली नहीं करने की रिपोर्ट दी है। जबकि पूर्व में हवेली में बिजली का मीटर दुर्गादत्त बैध के नाम से लगा हुआ है व 85 वर्ष से इस हवेली में रहते हुए आ रहे हैं। उसके बावजूद भी चितरंजन शर्मा का व्यवहार दिव्यांग जनों के प्रति शोभनीय नहीं है।

नेकी राम चौधरी, थानाधिकारी पाटन का कहना है कि दोनों पक्षों द्वारा रिपोर्ट दी गई थी तथा दोनों पक्षों को पाबंद किया जा चुका है। उसके बावजूद अगर मारपीट, जान से मारने जैसे धमकी अगर दी गई है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

श्रमिकों के समय में किया परिवर्तन

झुंझुनूं, (निसं)।महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय में बढ़ते तापमान को देखते हुए समय परिवर्तन किया गया है।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अम्बालाल मीणा ने बताया कि नरेगा श्रमिकों का पूर्व में गर्मी के मौसम को देखते हुए कार्य का समय सुबह 6 से दोपहर 1 बजे किया गया था। राज्य सरकार ने गर्मी को देखते हुए कार्य के समय में फिर से परिवर्तन करते हुए सुबह 5.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक विश्राम काल रहित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है।

तो वह किए गए कार्य की माप मेट के पास मस्टरोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने व समूह मुखिया के हस्ताक्षर उपरांत 10.30 बजे पश्चात एनएमएमएस की की निर्धारित प्रक्रियानुसार दूसरी हाजिरी अंकन के बाद कार्य स्थल छोड़ सकता है। यह समय परिवर्तन 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

'अस्पताल में व्याप्त अनियमितताएं कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं'

औचक निरीक्षण के नाम पर फोटो खिंचवाकर मीडिया में छपना ही मुख्य उद्देश्य हैं

- **राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल में भारी अनियमितता के बावजूद विधायक ने संतोष जाहिर किये**

चूरू, (कासं)। राजकीय डेडराज भरतिया अस्पताल में व्याप्त अनियमितताएं कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। आज विधायक हरलाल सहारण ने एक बार फिर से इस अस्पताल में निरीक्षण करने की औपचारिकता निभाई।

हालांकि विधायक की ओर से पहले किए गए निरीक्षण और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई असर आज तक नहीं हुआ है। बल्कि अव्यवस्थाओं में बढ़ोतरी ही हुई है। यहां अस्पताल का स्टाफ भी जानता है कि विधायक हरलाल सहारण सिर्फ फोटो खिंचवाकर मीडिया में छपना चाहते हैं, उन्हें अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है।

सब काम ठेकेदारी प्रथा पर ही हो रहे हैं। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर कर दिया गया तो फिर ठेकेदार क्या खायेंगे और अपने इन साथियों को भी क्या खिलाएंगे। अस्पताल में भारी अनियमितताएं होने के बावजूद विधायक हरलाल सहारण ने व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर करके बात को स्पष्ट कर दिया है। यह ठेकेदारी प्रथा के कारण ही संभव हो सकता है, वरना अस्पताल में देखें तो उनके निरीक्षण के बाद शौचालय पर ताला लगा दिया गया है। पेयजल की व्यवस्था नहीं है।

जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। रोगियों को अस्पताल में पूरी दावा ही नहीं मिल रही है। रोगी अधिक मूल्य की दवा, इंजेक्शन आदि तो अस्पताल के बाहर से ही खरीदने को मजबूर हैं। अस्पताल के भर्ती वार्डों में बैड पर साफ चद्दर तक नहीं है। लपकों की तरह आवारा पशु भी अस्पताल में खुलेआम विचरण करते रहते हैं। अस्पताल के भर्ती वार्डों में गर्मी के मौसम में पंखे तक नहीं चल रहे हैं। कूलर आदि रोगियों को घर से ही लाने पड़ते हैं।

ये अनियमितताएं विधायक सहारण को दिखाई ही नहीं दी, आखिर क्यों। यही सवाल सबकी जुबां पर है। आज निरीक्षण के दौरान विधायक के साथ प्रदेश मंत्री डॉ. वासुदेव चावला, भाजपा नेता विक्रम सिंह कोटवाद, मण्डल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी व सुरेश सारस्वत, नगरपरिषद चूरू में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, मण्डल महामंत्री सीपी शर्मा, मदन लाल खारिया, मोहनलाल गढ़वाल, मनोज गढ़वाल, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, राज.डीबी हॉस्पिटल के डीसी आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर विधायक हरलाल सहारण ने संतोष व्यक्त किया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी भारी अनियमितता होने के बाद भी विधायक ऐसा क्यों कह रहे हैं। विधायक को चाहिए था कि वे सभी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश देते।

पहले किए गए निरीक्षण के दौरान जो अनियमितताएं मिली उनका समाधान नहीं किए जाने पर संबंधित के खिलाफ कोई कार्रवाई करते, वो बात बिलकुल भी नहीं दिखी। इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि विधायक सिर्फ दिखावे के लिए ही निरीक्षण करने गए थे और संतोष व्यक्त करके फोटो खिंचवाकर हंसते हुए वापस चले गए।

लगता है चूरू के इस अस्पताल का कोई धणी-धोरी नहीं है। अब आमजन जाए तो कहां जाए। इसके लिए जयपुर से उच्च अधिकारियों की कोई टीम आकर निरीक्षण करे तो सबकी पोल खुलकर सामने आ जाएगी।

समीक्षा बैठक

झुंझुनूं,(निसं)।जिले के प्रभारी सचिव डॉ. समित शर्मा दो दिवसीय दौरे पर झुंझुनूं आएंगे। डॉ. समित शर्मा जयपुर से रवाना होकर दोपहर 12.30 बजे अलसीसर एवं मलसीसर पहुंचेंगे।

आम सुचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण निधरिण प्राधिकरण राजस्थान सरकार पत्र कमार्क No F1(4) SEIAA/SEAC-Raj/Sectt/ Project /Cat. 82(22850)/2021-22 Jaipur Dated 06.10.2023 के द्वारा 1. श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भादरमल 2. श्री सुनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चन्द 3 श्री सीताराम गुप्ता पुत्र श्री सुरजमल निवासी वार्ड न0 13 ढाणी मीणा वाली संजय नगर तन. पपुरना तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना के नाम से स्वीकृत/धारीत खनन पटटा संख्या 1/2021 एवं Ref No. 202110000036180 वास्ते खनिज पेजा पत्थर 1.8368 हैक्टयर के खसरा न0 1617, 1623, 1624 व 2662/1622 निकट ग्राम पतिभानमर तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना (राज) के लिये पर्यावरण अनुमति / स्वीकृति प्रदान कर दि गई है। उपरोक्त स्वीकृत पत्र कि प्राप्ती राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल कार्यालय जयपुर कि वैबसाईट www.r.p.c.b.nic.in पर उपलब्ध है। एवं क्षेत्रीय कार्यालय सीकर मे जनसाधारण के लिये उपलब्ध है।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 42/24
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री सुधीर कुमार बराई पुत्र श्री विनायक बराई ओ.टी.आर. नम्बर बी-55 केम्पस, आई.आई.टी. खडगपुर वेस्ट मेदानपुर, वेस्ट बंगाल ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत दी बिरला इन्सटीटयूट ऑफ टेक्नोलोजी एन्ड साईन्स, पिलानी तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध मे अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 30.7.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 43/24
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री सुरजमल गुप्ता पुत्र श्री सोहनलाल गुप्ता पोस्ट बजावा, रवातका, वाया बडा गॉव जिला झुंझुनूं ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री मोदी कुलदेवी मंदिर ट्रस्ट ग्राम भिटेरा वाया नांगरी सलेदी सिंह तहसील खेतडी जिला नीम का थाना (सीकर) के सम्बन्ध मे अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 30.7.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 44/24
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री अमित कुमार विजय कुमार खेमानी पुत्र श्री विजय कुमार मंगतुराम खेमानी निवासी बी-1004 सूर्या पैलेस सिटी लाईट रोड सुरत ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत खेमानी वेलफेयर फाउन्डेशन, केयर ऑफ गायत्री आर्ट गैलरी, मैन मार्केट पोस्ट मण्डावा जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियो के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध मे आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 30.7.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 45/24
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि प्रार्थी श्री महावीर प्रसाद गुप्ता श्री खेमा राम निवासी वार्ड नं. 11 वाहिदपुरा मण्डावा जिला झुंझुनूं ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री गोपाल गौशाला वाहिदपुरा मण्डावा जिला झुंझुनूं के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मे उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मे हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 30.7.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
**राजस्थान सार्वजनि